RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

[Pare, 5(1): January 2018]

ISSN 2348 – 8034
Impact Factor- 4.022

GLOBAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND RESEARCHES

''मध्यप्रदेश के विकास में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

डॉ. अंकुर पारे
पोस्ट डॉक्टरल फैलो,
आई.सी.एस.एस.आर.,
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

विकास परियोजनाओं के निर्माण से विस्थापितों के जीवन में अनेक परिर्वतन आते हैं। व्यक्तियों को अपनी भूमि से अलग होना पड़ता है। जहां वह पीढ़ियों से रहते हुए आ रहे हैं। ग्रामीण व्यक्ति अपनी भूमि को माँ समझता है और उसकी यह भावना होती है कि उसके पूर्वजों की आत्मा यहीं निवास करती है। अतः जब उसकी भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाती है तो उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ने की पीड़ा रहती है। इस कारण उन्हें अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विस्थापन के कारण उनकी सामाजिक संरचना में बदलाव आता है जिससे उनके रीति–रिवाज, प्रथा, संस्कृति आदि में बदलाव आता है। गाँव में लोग संगठित हो कर रहते थे और समस्याओं का मिलकर सामना करते थे। वह अपनी भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते है। विस्थापन के कारण उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है।

अनेक बार गांवों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण के कारण वे गांव छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाते हैं। डॉ. एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के कारण भी लोगों के स्थान परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से गांवों में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग गांवों से नगरों में विस्थापित हो जाते हैं।

आर्थिक कारण :–

निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध न होने पर लोग गांव छोडकर नगरों की ओर गमन करते हैं। क्योंकि नगरों में आय के अनेक स्त्रोत होते हैं, अतः उनका वहां गुजारा सम्भव हो जाता ळें

राजनीतिक कारण :–

कई बार राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन करना पड़ता है। राजनीतिक क्रांन्ति, उथल–पुथल, सरकारों का परिवर्तन होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। जब कोई शासक आततांई होता है तो उसकी मारकाट से बचने के लिए भी लोग विस्थापित हो जाते हैं।

आतंकवाद :–

आतंकवाद के कारण भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पण्डितों एवं हिन्दुओं को मारने के कारण वे लोग दिल्ली के आस–पास रहने चले गए। इसी प्रकार से तालिबान उग्रवादियों के कारण कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर आस–पास के प्रान्तों में रहने चले गए।

युद्ध :–

युद्ध के कारण भी प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक नगर एवं स्थान उजड़ गए, जैसे– जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए और लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाना पडा।

संघर्ष के कारण विस्थापन :–

वर्तमान में विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण संर्घष है जिससे लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। संघर्ष द्वारा उन लोगों का विस्थापन होता है जिनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अधिकारों का हनन् होता है।

प्रकाश ग्यानवली ने ''नेपाल में संघर्ष के कारण आन्तरिक विस्थापन की रिपोर्ट'' में यह बताया कि सन् 2003 के अंत में 25 मिलियन लोगों का संघर्ष के कारण आन्तरिक विस्थापन हुआ। 52 देशों में से 13 देश आन्तरिक विस्थापन से प्रभावित हुए। नेपाल में पिपलस वॉर के कारण आन्तरिक विस्थापन हुआ। ग्लोबल क्प्ब् प्रोजेक्ट ;2004द्ध ने नेपाल में संघर्ष के कारण आन्तरिक विस्थापन को हाइलाइट किया।

- ❖ UNHCR के अनुसार कोलम्बिया में सरकार, लोगों के बीच युद्ध के कारण 2 मिलियन से ज्यादा आन्तरिक विस्थापन हुआ।
- ❖ द्वितीय कॉन्गो युद्ध में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1.5 मिलियन आन्तरिक विस्थापन हुआ।
- ❖ पाकिस्तान में संघर्ष के कारण 2008 के अंत में 4,00,000 से ज्यादा लोगों का आन्तरिक विस्थापन हुआ।
- ❖ सोमालिया में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों का आन्तरिक विस्थापन सिविल वॉर के कारण हुआ।
- ❖ फिलीपीन्स में सरकार, साम्यवादी और इस्लामिक लोगों के बीच युद्ध के कारण लगभग 3,00,000 लोगों का आन्तरिक विस्थापन हुआ।

आपदा के कारण विस्थापन :–

यूनाइटेड नेशन्स के अनुसार ''आपदा सामाजिक संरचना के लिए एक गंभीर समस्या है इससे भौतिक, मानवीय, पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है जिससे समाज प्रभावित हो रहा है और अपने ही संसाधनों का उपयोग नही कर पा रहा है। आपदा दो प्रकार की होती है प्राकृतिक और मानवीय आपदा।

प्राकृतिक आपदा के अंतरगत आकस्मिक आपदा कोई बड़ी बीमारी, आती है जैसे बाढ़, भूकम्प, सूखे की समस्या, कॉलरा, मलेरिया आदि। मानवीय आपदा जैसे औद्योगिक आपदा।

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ने अनुमान लगाया है कि 2001 में 712 आपदाओं के कारण 170,478,000 लोग प्रभावित हुए और उनका विस्थापन हुआ। एशियाई महाद्वीप में लगभग 82 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए और आपदा के कारण बहुत से लोग प्रभावित हुए।

जैसे – सूखा और अकाल के कारण लगभग 51 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए और भूकम्प के कारण लगभग 55 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए।

विकास के कारण विस्थापन :–

जब लोगों का विस्थापन विकास या विकास परियोजनाओं के कारण होता है तो उसे विकास के कारण विस्थापन कहते हैं। विकास के कारण लोगों को अपने घरों से हटने के लिए बाध्य किया जा रहा है और उन्हे दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है। विकास के कारण विस्थापन के अंतर्गत नगरीय विकास के कारण विस्थापन, कृषि के कारण विस्थापन, बाँध के कारण विस्थापन, ऊर्जा के कारण विस्थापन आते हैं।

नगरीकरण एवं औद्योगीकरण :–

गांव से लोगों का नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की चमक–दमक, पुलिस, गुप्तचर, व्यवस्था, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की शिक्षा की सुविधाओं, बीमारी के इलाज के लिए बड़े–बड़े अस्पतालों के होने तथा उपचार की वैज्ञानिक नई–नई विधियों के कारण भी लोग नगरों में गमन कर जाते हैं।

नगरों के औद्योगीकरण के कारण भी लोग औद्योगिक केन्द्रों की ओर रोजी–रोटी की तलाश में चले जाते हैं। आज अनेक ऐसे नगर हैं जो औद्योगीकरण के कारण ही बस पाए हैं। उदाहरण के लिए, भिलाई में टाटा आइरन एवं स्टील के कारखानों के कारण ये स्थान बडे नगर बन गए हैं। सिन्दरी में अनेक लोग निवास करने चले गए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में रानीगंज एवं झारखण्ड में झारिया की कोयले एवं लोहे की खानों के कारण कई आदिवासी जैसे–हो, संथाल एवं अन्य जनजातियों के लोग जंगलों में अपने मूल निवासी को छोड़ इन स्थानों पर चले गए हैं। इस प्रकार का विस्थापन दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बंगलौर आदि औद्योगिक केन्द्रों में भी हुआ है।

नगरीय विकास के कारण विस्थापन :–

नगर में लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि के लिए अधोसंरचना का निर्माण और यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके कारण भूमि अधिग्रहण होगा और अनैच्छिक विस्थापन होगा। 1980 से 1986 तक वर्ल्ड बैंक ;वतसक ठंदाद्ध की यातायात, पानी और नगरीय विकास सम्बन्धी परियोजनाओं से 33 प्रतिशत लोगों का अफ्रीका में अनैच्छिक विस्थापन हुआ। मेडागास्कर में वर्ल्ड बैंक की नगरीय विकास परियोजनाओं के कारण 2,341 घरों का विस्थापन हुआ।

ISSN 2348 – 8034
Impact Factor- 4.022

कृषि के कारण विस्थापन :–

कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण भी विस्थापन होते हैं जैसे सुडान में 80,000 वर्ग कि.मी. उपजाऊ भूमि थी जिसके कारण वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया। लगभग 1.13 मिलियन जनसंख्या में से 1,70,000 विस्थापित लोग कैम्पों में रहते थे।

बाँधों के कारण विस्थापन :–

विकास परियोजना जैसे बड़े बाँध बनने से अनेक सकारात्मक प्रभाव हैं जैसे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी होना, पीने का पानी उपलब्ध होना, मत्स्य उत्पादन के लिए जलाशय का निर्माण होना लेकिन बाँध के कारण अधिक संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा है। ळवेपीनतक बाँध परियोजना के कारण 200 गाँव प्रभावित थे और लगभग 86,000 लोग विस्थापित हुए थे। चीन में थ्री गौर्ज डैम प्रोजेक्ट के कारण 19 देशों में 17 शहर और 109 नगर में लगभग 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित होंगे।

भारत में इन्डिया सोशल इन्सटिट्यूट ने अनुमान लगाया है कि बाँध के कारण लगभग 16.4 मिलियन लोग विस्थापित हुए।

ऊर्जा के कारण विस्थापन :–

ऊर्जा जैसे तेल, गैस और खनन् परियोजनाओं के कारण भी लोगों का विस्थापन होता है। थ्रियोडोर डाउनिंग ;जैमवकवतम क्वूदपदहद्ध ने अनुमान लगाया है कि 1950 से 1990 के बीच भारत में खनन् के कारण 2.55 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ। इन्डोनेशिया में फ्रिपोर्ट माइन्स के कारण 15,000 लोगों का विस्थापन हुआ। खनन् के कारण दक्षिण अफ्रीका में 37,000 लोगों का विस्थापन हुआ।

इस क्षेत्र में किये गये कार्य की संक्षिप्त समीक्षा :–

- ***द्विवेदी रंजीत (1997) ने –*** ''पिपल्स मूवमेन्टस इन एनवायरोमेन्टल पॉलिटिक्स : ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नर्मदा बचाव आन्दोलन इन इन्डिया'' में म.प्र. में नर्मदा बचाव आन्दोलन का विश्लेषण किया इसमें उन्होंने गुजरात और पश्चिमी भारत में सरदार सरोवर परियोजना के विरूद्ध लोगों का विश्लेषण किया और इसमें उनका मुख्य केन्द्र नर्मदा बचाव आन्दोलन की राजनीति पर था। सरदार सरोवर, नर्मदा घाटी विकास परियोजना का एक बाँध है जिसमें 30 वृहद् बाँध, 135 मध्यम बाँध और 3000 लघु बाँध बनने हैं जो एक साथ 4 से 5 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करेंगे, 2700ॅ जल विद्युत प्रदान करेंगे, घरेलु और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी प्रदान करेंगे। इस परियोजना से 37590 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र मे आएगी और जलाशय के क्षेत्र में 245 गाँव आएँगें जिसकी अनुमानित जनसंख्या 1,30,000 है।

- ***पाटिल रितेश (2011) ने –*** ''टू स्टडी द रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसेटैलमेण्ट पॉलिसी ऑफ एन.व्ही.डी.ए'' में म.प्र. में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का अध्ययन किया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का समय–समय पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की प्रस्तावना और उसकी परियोजना, म.प्र. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति और गुजरात और महाराष्ट्र की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के बीच तुलनात्मक विश्लेषण किया गया और इस तुलनात्मक विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि मध्यप्रदेश की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत उदार है। इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार यह अवलोकन किया गया कि एन.व्ही.डी.ए. की सभी परियोजनाओ का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया। तो इसलिए यह सलाह दी गयी कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की सभी परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना जरूरी है।

- ***हिमाद्री रवि ने बिसलपुर में –*** 'बाँध, विस्थापन, नीति और भारत के कानून'' में विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और विकास पर अध्ययन किया। इस पूरे अध्ययन में विस्थापन और पुनर्वास व कानून का अध्ययन किया गया। भारत में पिछले 50 वर्षों में लगभग 3,300 बड़े बाँधों का निर्माण किया गया। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय लोग विस्थापित किए जाते हैं। कुछ शोधार्थियों ने विस्थापितों का अनुमान 10 और 25 मिलियन के बीच लगाया है। इन्डियन इन्सटीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिसट्रेशन ने 54 वृहद् बाँधों का अध्ययन किया वृहद् बाँधों के कारण औसत विस्थापित लोगों की संख्या 44,182 है।

- **फरनैनडिस वाल्टर (2004) ने** – ''इण्डियाज़ फोर्स डिस्प्लेस्मेण्ट पॉलिसी एण्ड प्रैक्टिस, इज़ कम्पनसेशन अप टू फन्क्शन्स'' में भारत की विस्थापन नीति एवं मुआवज़ा वितरण पर अध्ययन किया विकास के कारण जो विस्थापन हो रहे हैं जिन लोगों की भूमि और घर इससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। लोगों के विस्थापन के लिए न केवल अच्छी नीति की आवश्यकता है बल्कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की भी आवश्यकता है। फरनैनडिस, दास और राव (1989) ने अपने अध्ययन में बताया कि बाँधों के कारण भारत में लगभग दो करोड़ लोग विस्थापित किए गए हैं।

- ***वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स नवम्बर 2000 ने*** –''डिस्प्लेसमेन्ट, रिसेटेलमेन्ट, रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवेलपमेन्ट में भारत के प्रमुख बाँधों की केस स्टडी की जिसमें पुनर्वास एवं विस्थापन का अध्ययन किया गया। विस्थापन, विकास परियोजना जैसे बाँध के कारण होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 60 मिलियन लोग पूरी दुनिया में वृहद् बाँध के कारण विस्थापित हुए है। वर्ल्ड बैंक ने 1986 से 1993 तक में 192 परियोजनाओं का परीक्षण किया और अनुमान लगाया कि 300 वृहद् बाँधों के कारण 4 मिलियन लोग विस्थापित हुए।

शोध का उद्देश्य

देश में आर्थिक विकास की मांग के कारण विकास परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे उस क्षेत्र में रह रहे लोगों का विस्थापन हो रहा है। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास अनिवार्य है और देश के विकास को रोका नहीं जा सकता इसलिए विस्थापन की समस्या का हल निकालना चाहिए और परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

किसी नई परियोजना की योजना बनाते समय उसकी आर्थिक और वित्तीय लागत की गणना की जाती है लेकिन उस परियोजना की सामाजिक लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता तो सामाजिक लागत को ध्यान में रखते हुए कोई भी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह मध्यप्रदेश के विकास में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना पर भी लागू होगा।

जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव से विस्थापन के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनका सामाजिक आर्थिक विकास होगा। इन क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण बहुत सी समस्याएँ हैं और अधोसंरचना की कमी है इसलिए इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ज्यादा रूकावटें नहीं हैं क्योंकि इससे उन क्षेत्रों का विकास होगा।

अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त होने वाली अध्ययन पद्धति–

निदर्शन

समग्र में से चुने गए कुछ को जो कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करते हो उसे निदर्शन कहते है। प्रस्तुत अध्ययन में मध्यप्रदेश के जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना से आबादी प्रभावित ग्रामों के नामों की चिट बनाकर दैव निदर्शन ;त्ंदकवउ ेंउचसपदहद्ध का प्रयोग करके गावों का चयन किया जाएगा इसके पश्चात् इन गावों की जनसंख्या से 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। उत्तरदाताओं के रूप में परिवार के मुखिया का चयन किया जाएगा। परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य प्रमुख सदस्यों का चयन किया जाएगा।

इस प्रकार 400.500 उत्तरदाताओं को अध्ययन के लिए दैव निदर्शन द्वारा चुना जाएगा।

आंकड़ा संकलन विधि

- **अनुसूची** : वैज्ञानिक विधि से इकाई के चयन के पश्चात् अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि अनुसूची का निर्माण किया जाए जिसके द्वारा तथ्यों का एकीकरण संभव हो सकें। ''मध्यप्रदेश के विकास में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' प्रस्तुत अध्ययन हेतु अनुसूची तैयार की गई है। अनुसूची को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है :–
    - विस्थापित परिवारों की सामाजिक स्थिति – विस्थापित परिवारों का नाम और पता, आयु, लिंग, घर के मुखिया का नाम, घर के मुखिया के साथ संबंध, धर्म, जाति/जनजाति, गाँव में निवास की अवधि। परियोजना से व्यक्तियों का घर, खेती–बाड़ी वाली जमीन, दुकान, व्यवसाय क्षेत्र, अन्य कोई भूमि का कोई भाग डूब क्षेत्र में आ रहा है या नहीं, आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।

- **विस्थापित परिवारों की आर्थिक एवं व्यवसायिक स्थिति –** विस्थापित व्यक्तियों के परिवार प्रणाली का विवरण, घर के सदस्यों की संख्या, घर के सदस्यों का विवरण, घर के स्वामित्व की स्थिति, घर गाँव के किस स्थान पर है आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **विस्थापित परिवारों की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति –**देवी–देवताओं की पूजा में विश्वास रखते हैं, पूजा किस स्थान पर करते हैं। विस्थापित व्यक्तियों के पास घर/मकान के प्लाट के अतिरिक्त खेतीबाड़ी/बागवानी, चराई/वनारोपण वाली जमीन है या नहीं। जमीन का माप एवं विशिष्टता का विवरण, खेती–बाड़ी में किन–किन उपकरणों/औजारों का प्रयोग करते हैं। पालतू पशु है या नहीं। मछली पकड़ने का काम करते है। मजदूरी के लिए दूसरे गाँव/शहर में जाते हैं। गाँव में साप्ताहिक बाज़ार की स्थिति, प्रमुख रूप से किस प्रकार की उपज पर आश्रित है, वनोपज पर आश्रित है तो जंगल से उत्पाद प्राप्त करते है आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **विस्थापन से महिलाओं एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव –**लड़कियों के लिए शादी की सामान्य आयु क्या है। विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी को प्रोत्साहन दिया जाता है आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है।

❖ **ग्राम अनुसूची**

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए ग्राम अनुसूची तैयार की गई जिसमें इस बात को देखा गया की विस्थापन से पहले प्रभावित परिवारों का जीवन कैसा था और उन्हें कौन–कौन सी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त थी, उनका जीवन स्तर कैसा था। ग्राम अनुसूची को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है:–

- **डूब प्रभावित ग्राम का विवरण –**डूब प्रभावित ग्राम का विवरण, प्रस्तावित आर.आर. साइट की जानकारी आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम के आस–पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं –**समीपस्थ नगर, ग्राम पंचायत का मुख्यालय, विकासखण्ड का मुख्यालय, बस स्टॉप, नाव घर, पक्की सड़क, बारहमासी सड़क, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी, कांजी हाऊस, साप्ताहिक बाजार, सामान्य खुदरा दुकान, उचित मूल्य की दुकान की स्थिति से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **गाँव में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता –** इस अध्याय को 2 भागों में बाटा गया :–
  - डूब से प्रभावित गाँव
  - गाँव जो डूब से प्रभावित नहीं हैं।

  परियोजना से प्रभावित गाँव में हैण्डपम्प, सिंचाई, कुँआ, नहर, स्टॉप डेम, बिजली, ट्यूबवेल, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि हैं या नहीं इससे संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम के जीवन का सांख्यिकी विवरण –**गाँव की सकल जनसंख्या, कुल परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या, अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या, काश्तकार परिवारों की संख्या, खेतीहर मजदूरों की संख्या, ग्राम में प्रवास पर जाने वाले परिवारों की संख्या आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम में भूमि उपयोग विवरण –**ग्राम का कुल क्षेत्रफल, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, कुल पड़ती भूमि, कुल बोया गया क्षेत्रफल, कृषि जोत का क्षेत्रफल आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम में कृषि कार्य की जानकारी –**उन्नत कृषि की जानकारी, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरणों का विवरण, प्रमुख फसल आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम की प्रमुख फसलों की जानकारी –**ग्राम की प्रमुख फसलों का विवरण आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम में वर्षा की जानकारी –**ग्राम की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। ग्राम बाढ़ अथवा सूखे से प्रभावित होता है। गाँव किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में आता है आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।
- **ग्राम में लघु उद्योग का विवरण –**ग्राम में कौन–कौन से लघु उद्योग है। ग्राम में लघु उद्योग उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र है या नहीं। क्या ग्राम के आस–पास लघु उद्योगों के लिए कोई औद्योगिक क्षेत्र है? क्या ग्राम में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध है ? वित्त का स्त्रोत क्या है आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।

- **ग्राम में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी –**स्थानीय शासन, पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, शिक्षा सुविधा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपलब्धता आदि है या नहीं। इनसे संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।

❖ **अवलोकन** : ''मध्यप्रदेश के विकास में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक तथ्य के संकलन हेतु विस्थापित ग्राम, विस्थापित परिवारों का एवं उनके घर, डूब प्रभावित भूमि, विस्थापितों का जीवन स्तर, पारिवारिक जानकारी, सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन, राजनैतिक सहभागिता एवं जनसंचार आदि का अध्ययन अवलोकन द्वारा किया जाएगा जिससे विस्थापितों के संबंध में सारगर्भित तथ्य प्राप्त हो सके।

❖ **साक्षात्कार** : साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने–सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रति–उत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आन्तरिक जीवन का अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। ''मध्यप्रदेश के विकास में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं सामूहिक साक्षात्कार द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाएगा।

व्यक्तिगत साक्षात्कार –इस प्रकार के साक्षात्कार में एक समय में एक साक्षात्कार लेने वाला एक सूचनादाता परस्पर विषय से सम्बन्धित वार्तालाप करते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता जाता है और सूचनादाता उसका उत्तर देता जाता है। इसमें सूचनादाता को साक्षात्कार से व्यक्तिगत प्रेरणा भी मिलती रहती है जिससे वह व्यक्तिगत तथ्यों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करता है। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग किया जाएगा।

सामूहिक साक्षात्कार –इस प्रकार के साक्षात्कार के अन्तर्गत एक साक्षात्कार एक समय में एक से अधिक व्यक्ति अथवा एक समूह से इच्छित एवं आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करता है। वह समूह में लोगों से बारी–बारी से प्रश्न कर सकता है अथवा किसी प्रश्न का उत्तर समूह का कोई नेता, व्यक्ति या सामूहिक रूप से भी दे सकता है। समूह के लोग मौन रहकर सूचनादाता के प्रति अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं अथवा उसका विरोध और आलोचना भी कर सकते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा ऐसी सूचनाएँ संकलित की जाती हैं जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण समूह से हो। इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण संभव हो पाती है। उनसे घटना का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इससे काफी जनसंख्या वाले क्षेत्र में सामग्री का संकलन सरलता से किया जा सकता है। इससे अधिक सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती हैं।

''मध्यप्रदेश के विकास में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' प्रस्तुत अध्ययन हेतु सामूहिक साक्षात्कार पद्धति द्वारा ''ग्राम अनुसूची'' के माध्यम से विस्थापित परिवारों का वैयक्तिक एवं सामूहिक साक्षात्कार किया जाएगा। सामूहिक साक्षात्कार में ग्राम के आस–पास में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ, विस्थापित परिवारों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, ग्राम का सांख्यिकी विवरण, ग्राम में भूमि उपयोग, ग्राम की कृषि जानकारी, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरणों की जानकारी, ग्राम की फसलों की जानकारी, ग्राम में वर्षा की जानकारी, ग्राम के लघु उद्योग आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए सामूहिक साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन में किया जाएगा।

❖ **आवश्यक निर्देश का स्पष्टीकरण** : अनुसूची के प्रश्न सूचनादाताओं से पूछे जाने से पूर्व उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि संबंधित प्रश्न शोध कार्य से संबंधित है।

आंकडों का प्रदर्शन व सामान्यीकरण

❖ **वर्गीकरण** : ***पी.वी.यंग के अनुसार***– ''वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता व निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के बीच पाये जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है।''

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों को उनकी समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। इस हेतु विभिन्न वर्गों की रचना की जाएगी।

❖ **सारणीयन** : सारणीयन, वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण कार्य में अगला कदम होता है। इसके माध्यम से तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आती है, और गणनात्मक तथ्य व्यवस्थित होकर प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन

ISSN 2348 – 8034
Impact Factor- 4.022

में भी तथ्यों का वर्गीकरण करने के बाद सारणीयन किया जाएगा जिससे उनके सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता आ जाएगी।

- **सांख्यिकी** : सारणीयन के पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण करना अनुसंधान का अगला चरण होता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर विभिन्न तथ्यों में पाये जाने वाले कार्यकारण संबंधों की व्याख्या की जाएगी ताकि उपकल्पनाओं की जाँच हो सके एवं अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के विश्लेषणात्मक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- **कम्प्यूटर इंटरनेट विधि** : शोध कार्य हेतु शोध के विषय से संबंधित साहित्य एवं सामग्री का कम्प्यूटर इंटरनेट से गहन और आलोचनात्मक अध्ययन किया जाएगा।
- **पुस्तकालय विधि** : प्रस्तुत शोध विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों का अध्ययन कर विभिन्न विचारों का समावेश किया जाएगा।

शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विभिन्न प्रविधियों का उपयोग किया जाएगा।

प्रस्तावित अध्ययन बौद्धिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टि से लाभकारी होगा। बौद्धिक दृष्टि से यह इस अर्थ में लाभकारी होगा कि प्रस्तावित अध्ययन के निष्कर्ष की रोशनी में विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान की परख होगी तथा आवश्यकता अनुसार नए ज्ञान का सृजन होगा। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए भी मददगार साबित होगा, जो जल विद्युत परियोजनाओं एवं विस्थापन संबंधी शोध करेंगें। विस्थापितों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु रचनात्मक सुझाव दिया जाना संभव हो सकेगा। प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जा सकेगा। विस्थापितों के जीवन का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ज्ञात किया जा सकेगा। प्रभावित परिवारों के विस्थापन की सामाजिक लागत ज्ञात की जा सकेगी। अतः इस अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित परियोजनाओं में आवश्यक परिमार्जन के सुझाव दिये जाने की संभावना बनेगी तथा विकास के लिए उपयुक्त एवं सटीक योजनाएं बनाने एवं उसके क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आएं हैं–

- शोध से स्पष्ट होता है कि गाँव में परिवार के मुखिया पुरूष है और यहां परिवार पितृ–सत्तात्मक है इन परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरूषों के हाथों में होते है और वे ही परिवार का नियंत्रण करते हैं। हिन्दुओं की संख्या अधिक है एवं कुछ मुस्लिम परिवार भी है। परियोजना से प्रभावित जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के गूजर समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग के तंवर राजपूत एवं सोंधिया समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन परियोजना से लाभान्वित हितग्राही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से है। गाँव में जातिवाद की समस्या अभी भी प्रचलित है।
- शोध में मुख्य रूप से देखने में आया कि अनुसूचित जनजातियाँ पर–संस्कृतिग्रहण कर रही है। जनजातियाँ अपने रीति–रिवाज, धार्मिक प्रतीकों, टोटम आदि को भूलती जा रही है। जनजातियों का अन्य संस्कृतियों से लम्बे समय तक सम्पर्क के कारण उनके मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन आएं हैं। बाह्य संस्कृतियों से सम्पर्क के कारण जनजातियों में भाषावाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक ही जनजाति के लोग अपनी भाषा के अलावा किसी बाह्य समूह की भाषा भी बोलने लगे हैं। वे लोग जिन पर बाह्य संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ा है, अपनी स्वयं की भाषा भूल गए है। इससे एक ही जनजाति के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान में बाधा आई है। इससे एक ओर सामुदायिक भावना कम हुई है तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक मूल्यों व आदर्शों में गिरावट आई है।
- गाँव में लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। लोगों को अपने पूर्वजों की भूमि से आत्मिक लगाव है उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि जिसमें वह जन्म से रह रहे थे उसको छोड़ने की एक पीड़ा है। जो लोग अपना पुस्तैनी व्यवसाय कर रहे थे उन्हें अपने व्यवसाय को छोड़ने की पीड़ा है। लोगों में इस बात का भय भी है कि उन्हें जिस स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाएगा वहाँ उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं एवं कैसा माहौल मिलेगा। गाँव में युवाओं की संख्या अधिक है, परियोजना के निर्माण से जो विस्थापन होगा उन परिवर्तनों को स्वीकार कर सकते हैं। विस्थापन का सर्वाधिक प्रभाव वृद्धों पर पड़ेगा, उन्हें नवीन स्थान पर सामंजस्य करने में समस्याएं आएंगी।
- जल विद्युत परियोजना के निर्माण से लोगों के घर एवं भूमि डूब क्षेत्र में आ रही हैं। लोगों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है। डूब से प्रभावित कृषि भूमि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज्यादा है। कृषि भूमि के डूब क्षेत्र में आने के कारण उनके जीविका अर्जन के स्रोत खत्म हो जाएंगे। पहले वह जो उत्पादन करते थे उससे उन्हें खाद्यान्न वस्तुएं खरीदना नहीं पड़ता था लेकिन अब उनकी कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आने से उनकी उत्पादन ईकाइयां बन्द हो जाएंगी एवं उपभोग की वस्तुएं बाजार से खरीदना पड़ेगी जिससे उनके खर्च बढ़ेंगें।

ISSN 2348 – 8034
Impact Factor- 4.022

- तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लोगों के घर डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के घर डूब क्षेत्र में ज्यादा आ रहे हैं एवं सबसे कम सामान्य वर्ग के लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं। गाँव में कोई भी दुकाने डूब क्षेत्र में नहीं आ रही हैं।
- परियोजना के निर्माण से प्रभावित गाँव के स्कूल, मंदिर, कुआँ, हैण्डपम्प, स्वास्थ्य केन्द्र सब डूब क्षेत्र में आ रहें हैं, जिससे अधोसंरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के अनुसार परियोजना से प्रभावित परिवारों को निःशुल्क भूमि दी जाएगी एवं उनकी सम्पत्ति का मूल्यांकन करके मुआवज़ा दिया जाएगा।

संदर्भ –

- **आहूजा राम (2011),** सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर (राजस्थान)
- **गुप्ता एम.एल, शर्मा डी.डी. (2009),** समाजशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा, उत्तरप्रदेश
- **Das Chandreyee.** Understanding and Managing Project Affected Persons Responses to Displacement- A Sociological Perspective, Development induced Displacement (Kolkata-West Bengal).
- **District Census 2011.** Census 2011.co.in.2011.http://www.census 2011.co.in/district.php.Retrieved 2011-09-30.
- **Dwivedi Ranjit(March 2007).** People's Movement in Environmental Politics: A Critical Analysis of the Narmada Bachao Andolan in India(Institute of Social Studies The Hague-The Netherland).
- **Fernandes Walter (2004).** Indias's Forced Displacement Policy and Practice.Is Compensation up to its Function?
- **Forced Migration.** Wikipedia The Encyclopedia.en.wikipedia.org /wiki/forced_migration.
- **Government of Madhya Pradesh**. District Profile from www.rajgarh.nic.in
- **Government of Madhya Pradesh.** Kundaliya Major Irrigation Project. Rajgarh. Water Resource Department.wrd.mpeprocurement.gov.in
- **Singh Asha.** Social Impact Assessment of Mohanpura Major Irrigation Project. Rajgarh. Water Resource Department.
- **Singh Asha.** Social Impact Assessment of Kundaliya Major Irrigation Project. Rajgarh. Water Resource Department.
- **Hemadri Ravi.** Dams, Displacement, Policy and Law in India. Bisalpur Bandh Samanvay Samiti. India.
- **Hydroelectricity.** Wikipedia The Encyclopedia. en.wikipedia.org/wiki /hydroelectricity.
- **Internal Displacement Monitoring Centre(IDMC).** Internally Displaced Persons(IDP).www.internal-displacement.org/idp.
- **Internally Displaced Person.** Wikipedia The Encyclopedia.http://en .wikipedia.org/wiki/internally_displaced_person.
- **Ministry of Rural Development(October 2007).** National Rehabilitation and Resettlement Policy. New Delhi, India.
- **Patil Ritesh(May 2011).** To Study the Rehabilitation and Resettlement Policy of NVDA. Indian Institute of Management, Indore.
- **Resident Population Data 2010.** U.S. Census Bureau.http:/ /2010.census.gov/2010Census/data/apportionment-pop-text.php. Retrieved 2011-09-30. "Hawaii 1360301"
- **Robinson W. Courtland(May 2003).** The Brookings Institution-SAIS Project on Internal Displacement.Risks and Rights: The Causes, Consequences and Challenges of Development induced Displacement. Washington DC.